

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 48 व 49 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता  
विभाजन एवं विनियम  
डिक्री

दिनांक :- 07/01/2026

वादीगण की ओर से श्री राम कुमार गोदारा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से श्री साहबराम सुथार व राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल <sup>उपखण्ड</sup> <sub>आर.ए.ए.ए.</sub> अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53, 48 व 49 के अन्तर्गत वाद वादीगण निम्नलिखित अनुसार डिक्री किया जाकर खाता विभाजन किया जाता है :-

(क) वादी संख्या 1 श्रवणकुमार को प्राप्त भूमि:-

- (1) चक नम्बर 21 जे आर के खाता संख्या 88/88 पत्थर नम्बर 37/250 मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 प्रत्येक 0.2530 हैक्टेयर

3  
सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



कुल 3.2890 हैक्टेयर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रकमराज अलग कायम की जावे वादी संख्या 2 एवं शेष प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 6, 7 का नाम कलमजन किया जाता है।

(2) चक नम्बर 21 जे आर के खाता संख्या 128/85 पत्थर नम्बर 37/250 मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 21 ता 25 सालम प्रत्येक 0.2530 हैक्टेयर कुल 1.2650 हैक्टेयर पत्थर नम्बर 37/251 मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 1, 2 सालम प्रत्येक 0.2530 हैक्टेयर कुल 1.771 हैक्टेयर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रकमराज अलग कायम की जावे इस खाता में वादी संख्या 2 एवं शेष प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 का नाम कलमजन किया जाता है।

(3) चक नम्बर 8 यूटीएस खाता संख्या 92/91 पत्थर नम्बर 25/217 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 13/0.101 हैक्टेयर, किला नम्बर 14/0.101 हैक्टेयर, किला नम्बर 15/0.114 हैक्टेयर किला नम्बर 16,17,18 सालम प्रत्येक 0.2530 हैक्टेयर कुल 1.075 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 25/219 मुरब्बा नम्बर 44 किला नम्बर 2/1/0.228, 2/2/0.025 गैरमुमकिन रास्ता, 3/1/0.228, 3/2/0.025 गैरमुमकिन रास्ता, 4/1/0.228, 4/2/0.025 गैरमुमकिन रास्ता किला न. 5/1/0.114, 5/2/0.013 गैरमुमकिन रास्ता, किला नम्बर 10/1/0.228, 10/2/0.025 गैरमुमकिन रास्ता, कुल 1.139 हैक्टेयर इस प्रकार दोनो मुरब्बो में कुल 2.214 हैक्टेयर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रकमराज अलग कायम की जावे।

(4) रोही मौजा माणक थेड़ी खाता संख्या 97/76 खसरा नम्बर 287/101 कुल 10.926 हैक्टेयर में से 2.137 हैक्टेयर यानि 8 बीघा 8 बिस्वा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ख) वादी संख्या 2 रामकुमार को प्राप्त भूमि :-

(1) चक नम्बर 22 जे आर के खाता संख्या 111/103 पत्थर नम्बर 35/250 मुरब्बा नम्बर 32 किला नम्बर 4/1/0.181, 5/1/0.203, 5/2/0.025 गैरमुमकिन रास्ता, 5/3/0.025 गैरमुमकिन खाला, 6/1/0.228, 6/2/0.025 गैरमुमकिन खाला, 7/2/0.164 हैक्टेयर कुल 0.851 हैक्टेयर रिकार्ड में वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खाता से श्रवणकुमार का नाम कलमजन किया जावे।


(2) चक नम्बर 22 जे आर के खाता संख्या 110/77 पत्थर नम्बर 32/252 मुरब्बा नम्बर 48 किला नम्बर किला नम्बर 3/1/0.114 हैक्टेयर, 3/2/0.012 गैरमुमकिन खाला, 4/1/0.228, 4/2/0.025 गैरमुमकिन खाला, 5/1/0.203, 5/2/0.025 गैरमुमकिन रास्ता, 5/3/0.025 गैरमुमकिन खाला, 6/1/0.228, 6/2/0.025 गैरमुमकिन रास्ता, किला नम्बर 7 सालम 0.2530 हैक्टेयर, किला नम्बर 8/0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 11/0.165 हैक्टेयर, 12/0.165 हैक्टेयर, 13/0.176 हैक्टेयर 14 सालम 0.2530 हैक्टेयर, 15/1/0.228, 15/2/0.025 हैक्टेयर रास्ता, 16/1/0.228 हैक्टेयर, 16/2/0.025 गैरमुमकिन रास्ता 17 से 24 सालम प्रत्येक 0.2530 हैक्टेयर, किला नम्बर 25/1/0.228 हैक्टेयर, 25/2/0.025 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता कुल 4.807 हैक्टेयर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रकमराज अलग कायम की जावे वादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 6, 7 का नाम कलमजन किया जाता है।

(3) रोही ग्राम माणक थेड़ी खाता संख्या 97/76 खसरा नम्बर 287/101 कुल तादादी 10.926 हैक्टेयर में से 3.810 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


(ग) प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को प्राप्त भूमि:-

(1) चक नम्बर 21 जे आर के खाता संख्या 86/86 पत्थर नम्बर 36/256 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 11,12 सालम प्रत्येक 0.2530 हैक्टेयर, 13/2/0.052 हैक्टेयर, किला नम्बर 16/1/0.228, 16/2/0.025 गैरमुमकिन रास्ता, 17 ता 24 सालम प्रत्येक 0.2530 हैक्टेयर, किला नम्बर 25/1/0.228, 25/2/0.025 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता, कुल 3.088 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 3 ता 7 का नाम कलमजन किया जाता है। रकमराज अलग कायम की जावे।

(2) चक नम्बर 21 जे आर के खाता संख्या 6/5 पत्थर नम्बर 37/256 मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 1/1/0.203, (1/2/0.025 गैरमुमकिन खाला, 1/3/0.025 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता यह गैरमुमकिन भूमि इसी चक के खाता संख्या 86/86 में स्थित है)



- किला नम्बर 2/0.038 हैक्टैयर, 9/0.038, इस प्रकार कुल 0.329 हैक्टैयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी संख्या 2 का नाम कलमजन कलजन किया जावे उक्तानुसार रकमराज अलग कायम की जावे।
- (3) चक नम्बर 21 जे आर के खाता संख्या 87/87 पत्थर नम्बर 37/256 मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 10/0.2530, 11/0.2530, 12/0.051 कुल 0.557 हैक्टैयर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है वादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 6,7 का नाम कलजमन किया जाता है। रकमराज अलग कायम की जावे।
- (4) चक नम्बर 21 जे आर के खाता संख्या 68/28 पत्थर नम्बर 40/249 मुरब्बा नम्बर 19 किला नम्बर 9.11,12,20=1.012 हैक्टैयर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत् रहेगा जो प्रतिवादीगण संख्या 6, 7 के नाम से दर्ज है।
- (5) चक नम्बर 8 यू टी एस खाता संख्या 92/91 पत्थर नम्बर 25/217 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 11, 12 सालम = 0.506 हैक्टैयर, किला नम्बर 13/0.152 हैक्टैयर, 1 4/0.152 हैक्टैयर, 15/0.139 हैक्टैयर, 20/2/0.127 हैक्टैयर, 1.076, पत्थर नम्बर 25/218 मुरब्बा नम्बर 40 किला नम्बर 20, 21 सालम = 0.506 हैक्टैयर, पत्थर नम्बर 25/219 मुरब्बा नम्बर 44 किला नम्बर 1/1/0.2020, 1/2/0.051 गैरमुमकिन रास्ता, 5/1/0.126 हैक्टैयर कुल 0.379 हैक्टैयर, पत्थर नम्बर 26/219 मुरब्बा नंबर 45 किला नंबर 1/.228, 1/2/0.025 गैरमुमकिन कुल 0.2530 हैक्टैयर कुल 2.214 हैक्टैयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादीगण संख्या 6, 7 का नाम कलमजन करने की घोषणा की जाती है। रकमराज अलग कायम पत्थर नम्बर 287/201 कुल किया जाता है।
- (6) रोही मौजा माणक थेड़ी नम्बर खाता संख्या 97/76 खसरा नम्बर 287/201 कुल तादादी 10.926 हैक्टैयर में से 1.986 हैक्टैयर रक्बा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
- (घ) प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 को प्राप्त भूमि:-
- (1) चक नम्बर 22 जे आर के खाता संख्या 110/77 पत्थर नम्बर 32/352 मुरब्बा नम्बर 48 किला नम्बर 1/1/0.228, 1/2/0.025 गैरमुमकिन खाला, 2/1/0.228, 2/2/0.025 गैरमुमकिन खाला = 0.506 हैक्टैयर, 3/1/0.114, 3/2/0.013 गैरमुमकिन खाला, 8/0.126, 9-10/0.506, 11/0.088, 12/0.088, 13/0.077, कुल 1.012 हैक्टैयर कुल 1.518 हैक्टैयर पर कब्जा काश्त है। यह खाता कुल 6.3250 हैक्टैयर का है, जिसमें से 1.518 प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 की कब्जा काश्त है एवं शेष रक्बा 4.808 हैक्टैयर पर कब्जा वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 6, 7 का नाम कलजमन करने की घोषणा की जाती है। रकमराज अलग कायम की जावे।
- (2) चक नम्बर 21 जे आर के खाता संख्या 6/5 पत्थर नम्बर 38/255 मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 21/.2530 हैक्टैयर, 22/0.1270, = 0.380 हैक्टैयर, पत्थर नम्बर 37/256 मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 2/1/0.165, (2/2/0.025 गैरमुमकिन खाला, 2/3/0.025 गैरमुमकिन रास्ता यह गैरमुमकिन रक्बा खाता संख्या 86/86 में अंकित है) 3/1/0.203, (3/2/0.025 गैरमुमकिन रास्ता 3/3/0.025 गैरमुमकिन खाला (यह गैरमुमकिन रक्बा खाता संख्या 86/86 में अंकित है ) किला नम्बर 8/0.2530, 9/0.215 हैक्टैयर कुल 1.216 व उपरोक्तानुसार खाता संख्या 86/86 का 0.050 गैरमुमकिन रास्ता, 0.050 गैरमुमकिन खाला इस प्रकार कुल 1.316 हैक्टैयर पर कब्जा काश्त चली आ रही है। यह खाता कुल 1.495 हैक्टैयर का है जिसमें से 1.216 हैक्टैयर प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रकमराज अलग कायम की जावे एवं 0.279 हैक्टैयर का कब्जा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रकमराज अलग कायम की जावे।
- (3) चक नम्बर 21 जे आर के खाता संख्या 87/87 पत्थर नम्बर 37/256 मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 12/0.202, 13/0.2530 कुल 0.455 हैक्टैयर पर कब्जा काश्त है। यह कुल खाता 1.012 हैक्टैयर का है जिसमें से उक्तानुसार 0.455 पर कब्जा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 का है, शेष 0.557 हैक्टैयर में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस खाता में वादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 6, 7 का नाम कलजमन करने की घोषणा की जाती है। रकमराज अलग कायम की जावे।



- (4) चक नम्बर 21 जे आर के खाता संख्या 88/88 पत्थर नम्बर 38/255 मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 11,12,19,20 = 1.012, 22/1/0.126 हैक्टेयर कुल 1.138 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 1,2,6,7 का नाम कलमजन किया जावे। रकमराज अलग कायम की जावे।
- (5) चक नम्बर 8 यूटीएस खाता संख्या 92/91 पत्थर नम्बर 24/219 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 5/1/0.228, 5/2/0.025 गैरमुमकिन खाला, 6, 14, 15, 16, 17, 24,25 सालम प्रत्येक 0.2530 हैक्टेयर कुल 2.024 हैक्टेयर एवं पत्थर नम्बर 25/218 मुरब्बा नम्बर 40 किला नम्बर 24,25 सालम प्रत्येक 0.2530 हैक्टेयर कुल 0.506 हैक्टेयर एवं पत्थर नम्बर 26/219 मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 2/1/0.228 हैक्टेयर, 2/2/0.025 गैरमुमकिन रास्ता, पत्थर नम्बर 27/216 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1/1/0.228, 1/2/0.025 गैरमुमकिन खाला, 2/1/0.228, 2/2/0.025 गैरमुमकिन खाला, 3/1/0.228, 3/2/0.025 गैरमुमकिन खाला, 4/1/0.228,4/2/0.025 गैरमुमकिन खाला, 5/1/0.202, 5/2/0.051 गैरमुमकिन खाला, 6/1/0.228, 6/2/0.025 गैरमुमकिन खाला कुल 1.518 इस प्रकार इस चक में कुल 4.301 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस खाता में वादी संख्या 2, एवं प्रतिवादीगण संख्या 6, 7 का नाम कलजमन किया जाता है। रकमराज अलग कायम की जावे।
- (6) रोही मौजा माणक थेड़ी खाता संख्या 97/76 खसरा नम्बर 287/101 कुल तादादी 0.926 में से 0.674 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
- (ड) प्रतिवादीगण संख्या 6, 7 को प्राप्त भूमि :-
- (1) चक नम्बर 21 जे आर के खाता संख्या 68/28 पत्थर नम्बर 39/249 मुरब्बा नम्बर 18 किला नम्बर 13 से 18, 23 से 25 सालम प्रत्येक 0.2530 हैक्टेयर = 2.277 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 40/249 मुरब्बा नम्बर 19 किला नम्बर 19, 21, 22 सालम प्रत्येक 0.2530 हैक्टेयर = 0.759 हैक्टेयर कुल रक्बा 3.036 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रकमराज अलग कायम की जावे।
- (2) चक नम्बर 33 एल एल डब्ल्यु खाता संख्या 108/59 पत्थर नम्बर 32/231 मुरब्बा नम्बर 20 किला नम्बर 1/1/0.228, 1/2/0.025 गैरमुमकिन खाला, 2/1/0.228, 2/2/0.025 गैरमुमकिन खाला, 3/1/0.228, 3/2/0.025 गैरमुमकिन खाला, 4/1/0.228, 4/2/0.025 गैरमुमकिन खाला, 7 से 14 सालम प्रत्येक 0.2530 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 ता 20 सालम प्रत्येक 0.2530 हैक्टेयर अर्थात् कुल 4.0480 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस खाता में वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का नाम कलजमन किया जाता है। रकमराज अलग कायम की जावे।
- (3) रोही मौजा माणक थेड़ी खाता संख्या 97/76 खसरा नम्बर 287/101 कुल तादादी 10.926 हैक्टेयर में से 2.319 हैक्टेयर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा इसी अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होंने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होंने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होंने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होंने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होंने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/ गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 07/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



( उमा मित्तल )  
 सहायक कलेक्टर एवं संपत्ति प्रशासक  
 उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा  
 पदेन सहायक कलेक्टर  
 पीलीबंगा